संख्या-49/2015/ 2269सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 29 सितम्बर, 2015

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम हेतु कृषि विभाग के शासनादेश दिनांक 08 सितम्बर, 2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रु0 2323.62 लाख के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-622/रा0कृ0वि0यो0/विकास दिनांक 18.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता वाली एस0एल0एस0सी0 द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष गन्ना विकास विभाग हेतु शुगरकेन सीड प्रोग्राम परियोजना हेतु, वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि **रु0 23,23,62,000/-(रुपया तेइस करोड़ तेइस लाख बासठ हजार मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 1432/12-3-2015-100(76)/2012, दिनांक 08 सितम्बर, 2015 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि से, **इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार,** वित्तीय वर्ष 2014-15 में गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु, निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-1432/12-3-2015-100(76)/2012 दिनांक 08.09.2015 में दिये गये शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-23-1000(74)/2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-23-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तो(गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2014-15 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रस्तर-2 में वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तद्रनुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-49/2015/ 2269(1)सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
2- प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ0प्र0 शासन।
3- अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0।
4- समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6- संयुक्त सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0**(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
8- नोडल अधिकारी(आर0के0वी0वाई0), उ0प्र0 कृषि भवन लखनऊ।
9- नियोजन अनुभाग-3/राज्ययोजना आयोग-1/2
10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-49/2015/2269 सी0डी0/46-3-15-1000(56)/2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2015 का संलग्नक

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना/ धनराशि रु० 2323.62 लाख के उपयोग/व्यय किये जाने के संबंध में जनपदवार/ कार्ययोजनावार फॉट

(लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	आधार पौध शाला बीज वितरण	प्राथमिक पौध शाला बीज वितरण	प्रदर्शन	कृषि यन्त्र वितरण	माईक्रो न्यूटिब्येन्ट वितरण	किसान गोष्ठी	जिला स्तरीय पुरस्कार	योग (लाख रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	5.92	19.76	3.600	47.33	28.34	1.00	0.80	106.750
2	मुजफ्फर नगर	6.89	26.58	4.275	55.07	34.50	1.00	0.80	129.115
3	शामली	2.65	10.99	1.650	21.08	13.70	1.00	0.80	51.870
योग मण्डल		**15.46**	**57.33**	**9.525**	**123.48**	**76.54**	**3.00**	**2.40**	**287.735**
4	मेरठ	5.97	22.53	3.675	47.69	29.23	1.00	0.80	110.895
5	बागपत	3.73	15.27	2.250	29.85	19.40	0.00	0.80	71.300
6	गाजियाबाद	0.95	3.73	0.600	7.57	4.84	0.00	0.80	18.490
7	बुलन्दशहर	3.37	11.25	2.100	26.95	14.91	1.00	0.80	60.380
8	हापुड़	1.64	5.32	0.975	13.17	4.05	0.00	0.80	25.955
योग मण्डल		**15.66**	**58.10**	**9.600**	**125.23**	**72.43**	**2.00**	**4.00**	**287.020**
9	मुरादाबाद	3.06	11.70	1.875	24.50	15.18	0.00	0.80	57.115
10	रामपुर	1.67	5.92	0.975	13.36	7.68	0.00	0.80	30.405
11	सम्भल	2.03	7.49	1.275	16.27	9.72	1.00	0.80	38.585
12	जे०पी०नगर	3.55	13.66	2.175	28.43	17.72	1.00	0.80	67.335
13	बिजनौर	11.07	43.65	6.900	88.62	56.41	0.00	0.80	207.450
योग मण्डल		**21.38**	**82.42**	**13.200**	**171.18**	**106.71**	**2.00**	**4.00**	**400.890**
14	बरेली	5.06	17.29	3.150	40.40	22.43	1.00	0.00	89.330
15	बदायूँ	1.48	4.53	0.825	11.86	5.87	0.00	0.80	25.365
16	पीलीभीत	4.78	16.86	3.000	38.19	21.87	1.00	0.80	86.500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	शाहजहाँपुर	3.73	13.37	2.325	29.94	17.22	1.00	0.80	68.385
18	कासगंज	0.47	1.23	0.225	3.76	1.60	1.00	0.80	9.085
19	अलीगढ	0.95	2.81	0.600	7.58	3.65	1.00	0.80	17.390
योग मण्डल		**16.47**	**56.09**	**10.125**	**131.73**	**72.64**	**5.00**	**4.00**	**296.055**
20	लखीमपुर	13.73	52.38	7.950	109.83	70.81	0.00	0.80	255.500
21	सीतापुर	6.85	28.73	4.200	54.80	35.63	1.00	0.80	132.010
22	रायबरेली	0.15	0.55	0.075	1.19	0.72	0.00	0.00	2.685
23	फरूर्खाबाद	0.86	3.29	0.525	6.85	4.27	1.00	0.80	17.595
24	हरदोई	2.78	8.64	1.725	22.26	11.21	1.00	0.80	48.415
25	कानपुर	0.41	1.52	0.225	3.28	1.97	0.00	0.80	8.205
योग मण्डल		**24.78**	**95.11**	**14.700**	**198.21**	**124.61**	**3.00**	**4.00**	**464.410**
26	फैजाबाद	1.907	7.200	1.200	15.250	9.385	0.000	0.800	35.742
27	अम्बेडकरनगर	1.073	4.050	0.675	8.600	5.285	0.000	0.000	19.683
28	सुल्तानपुर	0.57	2.09	0.450	4.62	2.72	0.00	0.80	11.250
29	बाराबंकी	0.43	1.65	0.225	3.47	2.14	0.00	0.00	7.915
30	जौनपुर	0.23	0.59	0.225	1.86	0.77	0.00	0.80	4.475
31	गाजीपुर	0.18	0.73	0.150	1.42	0.92	1.00	0.80	5.200
32	वाराणसी	0.12	0.51	0.075	0.96	0.62	1.00	0.80	4.085
योग मण्डल		**4.51**	**16.82**	**3.000**	**36.18**	**21.84**	**2.00**	**4.00**	**88.350**
33	गोण्डा	4.48	16.25	2.775	35.83	21.08	0.00	0.80	81.215
34	बलरामपुर	5.08	19.29	3.150	40.55	25.03	0.00	0.80	93.900
35	बहराईच	4.36	16.15	2.700	34.90	20.95	0.00	0.80	79.860
योग मण्डल		**13.92**	**51.69**	**8.625**	**111.28**	**67.06**	**0.00**	**2.40**	**254.975**
36	गोरखपुर	0.32	1.07	0.225	2.54	1.39	1.00	0.80	7.345
37	बस्ती	4.22	15.15	2.625	33.71	19.66	1.00	0.80	77.165
38	महराजगंज	1.16	4.13	0.675	9.28	5.35	1.00	0.80	22.395
39	सिद्धार्थनगर	0.16	0.56	0.075	1.32	0.73	1.00	0.80	4.645
योग मण्डल		**5.86**	**20.91**	**3.600**	**46.85**	**27.13**	**4.00**	**3.20**	**111.550**
40	देवरिया	0.89	2.98	0.600	7.16	3.87	1.00	0.40	16.900
41	कुशीनगर	4.58	17.59	2.850	36.62	22.82	1.00	0.00	85.460
42	मऊ	0.62	2.40	0.375	4.86	3.11	0.00	0.00	11.365

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

43	बलिया	0.20	0.86	0.150	1.80	1.11	0.00	0.00	4.120
44	आजमगढ	0.67	2.73	0.450	5.42	3.52	1.00	0.00	13.790
योग मण्डल		**6.96**	**26.56**	**4.425**	**55.86**	**34.43**	**3.00**	**0.40**	**131.635**
कुल योग मण्डल		**125.00**	**465.03**	**76.800**	**1000.00**	**603.39**	**24.00**	**28.40**	**2322.620**
राज्य स्तरीय उत्पादकता पुरस्कार									1.000
कुल योगः									**2323.620**

(रुपया तेइस करोड़ तेइस लाख बासठ हजार मात्र)

नोटः जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को अवांटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद,मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा राज्य स्तरीय उत्पादकता पुरस्कार की धनराशि आहरण वितरण अधिकारी मुख्यालय द्वारा मुख्य प्रचार अधिकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।